



112

समक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय म0प्र0 राजस्व मण्डल कैम्प भोपाल

प्र.क्र. निगरानी- /पीबीआर/ 18
PBR/निगरानी/रायसेन/भू.रा/2018/1062

श्रीमती विमला पुत्री श्री काशीराम साहू
निवासी ग्राम मोहड पपलई तहसील उदयपुरा
जिला रायसेन म0प्र0

....आवेदक

विरुद्ध

1. भानुप्रताप सिंह आ0 स्व0 श्री अमितसिंह राजपूत
2. कु0 अनीषा पुत्री स्व0 श्री अमितसिंह राजपूत
3. कु0 मनीषा पुत्री स्व0 श्री अमितसिंह राजपूत
4. कु0 वैष्णवी पुत्री स्व0 श्री अमितसिंह राजपूत(अवयस्क)

द्वारा संरक्षक नर्वदा प्रसाद आ0 श्री रामचरण
निवासी मकान न0 327 बल्लभ भवन क0 1
वार्ड क 33 जिला भोपाल म0प्र0

5. म0प्र0 शासन द्वारा-: नायब तहसीलदार टप्पा देवरी
तहसील उदयपुरा जिला रायसेन

....अनावेदकगण

म0प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी



माननीय महोदय,

आवेदक अपर कलेक्टर महोदय जिला रायसेन द्वारा उनके प्रकरण क्र. 02/अपील/2016-2017 में पारित आदेश दिनांक 09/01/18 से असंतुष्ट एवं दुःखी होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/रायसेन/भू.रा./2018/1062 जिला रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-10-2018	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री प्रेमसिंह ठाकुर तथा अनावेदकगण की ओर से श्री अखिलेश तिवारी, अधिवक्ता उपस्थित। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर के न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण की सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है।</p> <p> सीडर</p>	<p> (मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>